| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.06.24 | पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरीकेन उपस्थित। आदेश दिनांक 05.03.2024 की पालना में तहसीलदार बीकानेर से खाता विभाजन प्रस्ताव पुनः प्राप्त। बहस उभयपक्ष खाता विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गयी।<br><br>अभिभाषक वादीगण ने बहस में कथन किया कि उक्त प्रस्तुत खाता विभाजन प्रस्ताव पुनः बिना मौका की जांच किये, वादीगण को सुनवाई हेतु तलब किये बिना बाला–बाला तैयार किये गये है। विवादित आराजी के खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए समरूपता नहीं रखी गयी। वादीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, ना ही मौका स्थिति पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। अतः खाता विभाजन प्रस्ताव खारिज किया जाकर पुनः नियमानुसार प्रस्ताव भिजवाये जाने का आदेश प्रदान करें।<br><br>अभिभाषक प्रतिवादीगण ने बहस में कथन किया कि प्रकरण वादीगण की ओर से प्रस्तुत है, जिसमें परीक्षण उपरान्त खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव पूर्व में कई बार वादीगण की असंतुष्टि के आधार पर पुनः प्रेषित किये जा चुके है, वादीगण द्वारा स्वयं के वाद के निस्तारण में अकारण विलंब कारित किया जा रहा है। वादीगण का ध्येय प्रतिवादीगण को परेशान करने का है। तीन बार खाता विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण की आपत्ति के आधार पर पुनः प्रस्ताव लिये जा चुके है। वादीगण जानबूझकर मौका पर उपस्थित होने के बावजूद खाता विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तथा न्यायालय के समक्ष आपत्ति पेश किये जाने पर वादीगण की आपत्ति बाबत् बार–बार खाता विभाजन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाना प्रतिवादीगण के हितों पर कुठाराघात है। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में खाता विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बीकानेर | |

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन प्रस्ताव पर सहमति के बिन्दु के मध्यनजर तीन बार प्रस्ताव लिये जा चुके है, वादीगण द्वारा तीनों प्रस्तावों के विरूद्ध वैधानिक बिन्दु पर कोई सार्थक तथ्य पेश नहीं किया गया, वादीगण का कथन कि सुनवाई हेतु तलब किये बिना बाला–बाला प्रस्ताव तैयार किये गये है। उक्त तथ्य आधारहीन प्रतीत होता है क्योंकि वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त है। मौका पर खाता विभाजन प्रस्ताव हेतु नोटिस जारी करने उपरान्त प्रस्ताव तैयार करने के समय अपने खातेदारी भूमि पर तीनों बार उपस्थित नहीं होने का कथन किया गया है। वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रकट की गयी, परन्तु मौका पर उपस्थित नहीं रहना तथा खाता विभाजन के प्रस्ताव के विधिक बिन्दु पर कोई तथ्य प्रकट नहीं करना दर्शाता है कि वादीगण द्वारा प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक तथ्यों का समायोजन कर विलंब कारित किया जा रहा है। वादीगण प्रत्येक बार मौका उपस्थित नहीं होने का कथन संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः वादीगण की आपत्ति आधारहीन होने से काबिले खारिज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में प्रस्तुत खाता विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार खाता विभाजन की अंतिम डिक्री दी जानी मंजूर की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। खाता विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा, निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय, अंतिम डिक्री मय खाता विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा वास्ते अमल–दरामद तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित किया जावे। निर्णय आज दिनांक 28/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर